कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड़ लोक निर्माण विभाग-ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

उत्तराखण्ड शासन

Office of the Executive Engineer, C.D, P.W.D. Ukhimath

E-Mail: ukhimathpwd@yahoo.in **Phone & Fax:- 01364-284239**

पत्रांक 2342 **/ 13 सी०** **दिनांक** 16 **/08/2018**

सेवा में,

उपवन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

विषयः- **जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत नागजगई–फेगू–बरम्वाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.451 है० वनभूमि का उत्तराखण्ड़ लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भः- वन संरक्षक, भारत सरकार, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्यक्षेत्र) देहरादून का पत्र संख्या 8बी0/यू0सी0पी0/06/176/2016/एफ0सी0/1871 दि० 13–02–2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत् प्रेषित हैः-

शर्त संख्या 1:– खण्ड़ द्वारा सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एंव 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु चालान जनरेट होने के उपरान्त **रू० 808686.00** मात्र का भुगतान वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। **(Bank's T.R No.S 3328591 दि० 30–07–2018 संलग्न है)** क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग के पत्र संख्या 5384/छबीस–19/2017–18 दिनाँक, रूद्रप्रयाग, 27-07-2018 द्वारा 2.902 है० सिविल सोयम भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एंव नामान्तरण कर दी गयी है। **(आदेश प्रति संलग्न है)**

शर्त संख्या 2:–भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनाँक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुशार शुद्ध वर्तमान एन०पी०वी० की धनराशी **रू० 953307.00** मात्र का भुगतान वन विभाग के पक्ष में जमा कर लिया गया है। **(Bank's T.R No. S 3328591 दि० 30–07–2018 संलग्न है)**

शर्त संख्या 3:–एन०पी०वी० की दरों मे बढ़ोत्तरी से सम्बन्धित बचनवद्धता का प्रमाण-पत्र पूर्व में ही प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 94 पर संलग्न है। **पुनः छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।**

शर्त संख्या 4:– खण्ड़ द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण, व एन०पी०वी० की धनराशि का भुगतान प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग से आकलन उपलब्ध होने पर ऑनलाईन चालान जनरेट के उपरान्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही किया गया है। खण्ड़ द्वारा पूर्ण भुगतान **रू० 1761993.00** वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। **(Bank's T.R No. S 3328591 दि० 30–07–2018 संलग्न है)**

शर्त संख्या 5:– खण्ड़ द्वारा मार्ग निर्माण के पश्चात् जंहा–जंहा सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण किया जायेगा इस आशय का वचनबद्धता का प्रमाण–पत्र पूर्व में ही प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 88B पर संलग्न है। **पुनः छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।**

शर्त संख्या 6:– प्रस्ताव के भाग I व II की प्रति पूर्व में ही प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 9,10 व 11 पर संलग्न है। तथा भाग III,IV एंव V की प्रति पुनः संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्न भाग I,II,III,IV,V की प्रति)**

शर्त संख्या 7:– वनाधिकार अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत ग्राम –बरम्बाड़ी का अनापत्ति प्रमाण–पत्र पूर्व में ही प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 66–67 पर संलग्न है। **(पुनः छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।)**

क्र०सं०–2–

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया विषयवर्णित प्रकरण पर विधिवत् स्वीकृति हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(इं० मनोज दास)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ, (रूद्रप्रयाग)

o/c

पत्रांक 2342 **/ 13 सी०** **दिनांक** 16 **/08/2018**

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः---

1- जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
2- अधीक्षण अभियन्ता,सिविल वृत्त लो०नि०वि० रूद्रप्रयाग।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ, (रूद्रप्रयाग)

o/c

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 176 / 2016 / एफ0सी0 | 1871

दिनांकः 13 / 02 / 2018

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय : जनपद – रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत नागजगई–फेगू–बरम्वाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.451 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 869/X-4-16/1(265)/2016 दिनांक 12.08.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/17679/2016 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करना है कि प्रश्नगत प्रकरण पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद– **रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत नागजगई–फेगू–बरम्वाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.451 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन** किये जाने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती हैः–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.902 है0 ग्राम–फेगू सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर **Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।**

5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।

6. State Govt. will submit attested copy of Part I & II of the proposal and original hard copy of Part III, IV & V.

7. State Govt. will upload proceedings of VLC of village Barmbedi under FRA.

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् **विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तो सहित निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जायेगी:–**

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 2.902 है0 ग्राम–फेगू सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये प्रयोजन के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
9. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 129 से अधिक न हो।
10. सड़क निर्माण क़े पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
13. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीया,

कमल प्रीत 13/01/16

(कमल प्रीत)
वन सरंक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(कमल प्रीत)
वन सरंक्षक

(1)

:: आ दे श ::

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ द्वारा अपने पत्रांक–1715/13 सी. दिनांक 30–06–2016 के द्वारा अवगत कराया गया है कि, जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत नागजगई–फेगू–बरम्वाडी मोटर मार्ग निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या–2555/III-2/06-41 (प्रा0आ0) /06 दिनांक 26–09–2006 के द्वारा तथा भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक 08बी./यू0सी0पी0/06/176/2016/एफ0सी0 दिनांक 13–02–2018 से सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। जिसके कम में उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अधिगृहित की जानी वाली भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उत्तराखण्ड सरकार की सिविल सोयम भूमि वन विभाग को उपलब्ध कराने का निवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण पर तहसीलदार वसुकेदार द्वारा जांच रिर्पोट पत्र संख्या– 340/र0का0–भू0ह0/2018–19 दिनांक 13 जून 2018 के द्वारा उपलब्ध कराते हुए, अवगत कराया है कि, रा0उ0निरीक्षक, क्षेत्र भीरी के ग्राम फेगू की ज0वि0र0 खतौनी श्रेणी 9 (3) ग के खाता संख्या–05 के खसरा नम्बर 1137 रक्वा 21.250 है0 मध्ये रक्वा 2.902 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित कर प्रस्तावित की गई है।

अतः तहसीलदार बसुकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर शासनादेश संख्या– 2173/XVIII (II)/2012-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग–2 , दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के कम में उक्त चयनित भूमि को वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वन भूमि सहायक

अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो० नि० वि० ऊखीमठ (रुद्र प्रयाग)
1-पंजिका क्रमांक 908
13 सी
3.8.18

(मंगेश घिल्डियाल)
जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

संख्या–5384/छब्बीस–19 /2017–18 दिनांकः रुद्रप्रयागः जुलाई 27, 2018.

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त, गढवाल मण्डल पौडी।
4– उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग।
5– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ।
6– उप जिलाधिकारी/तहसीलदार वसुकेदार।

जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

पत्रांक 2224/13C दिनांक 3/8/18

प्रतिलिपि:– सहायक अभियन्ता (II) लो० नि० वि० ऊखीमठ को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधि० अभि०

1	FP/UK/ROAD/17679/2016 Nagjagai - Fegu - Barmwadi Motor Road	ROAD176792016980	6117679980	13 Feb 2018	CA: 808686/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 953307/- , Other charges1 : 0/- Other charges2 : 0/- Other charges3 : 0/- Other charges4 : 0/- Total : 1761993/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 29 Jun 2018 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : Corporation Bank (Challan) **Challan Generated On** : 02 Jul 2018 **Transaction Date** : 02 Aug 2018	Demand Letter Generated Challan

BANK COPY

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 02-07-2018

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	EECDPWDUKM
PIF/Application No.	6117679980
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/176/2016/FC
Address.	EXECUTIVE ENGINEER, CONST. DIVISION, PWD UKHIMATH,Rudraprayag
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	ukhimathpwd@yahoo.in 9675898652 1364-284239
Amount(In Rs)	1761993/-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lodhi complex (0371)

Amount in Words : Seventeen Lakh Sixty-One Thousand Nine Hundred and Ninety-Three Rupees Only

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp
S3328591	

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2
- This challan is valid only for seven days.

campa@corpbank.co.in

Corporation Bank Dehradun 30 JUL 2018

प्रपत्र–51

परियोजना का नामः– जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

एन. पी.वी. की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशी जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता, निर्माण खण्ड,लो॰नि॰वि॰, ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)	सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड,लो॰नि॰वि॰, ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड,लो॰नि॰वि॰, ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि वहन किये जाने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नामः– जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

प्रमाणित किया जाता है कि मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी माँग के अनुसार उपलब्ध करा दी जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता, निर्माण खण्ड,लो॰नि॰वि॰, ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)	सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड,लो॰नि॰वि॰, ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड,लो॰नि॰वि॰, ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र–2

परिशिष्ट
(देखिए नियम –6)
फार्म– 'क'

1. सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म
भाग–1
(प्रयोक्ता एजंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण

(i)	अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण्ड्ढ	:–	जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु 1.451 है० राज्य भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।
(ii)	1:50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला डिजिटल मैप।	:–	संलग्न
(iii)	परियोजना लागत।	:–	**289.50 लाख**
(iv)	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का ओचित्य।		**ग्राम नागजगई, टेमरिया, गिवांड़ीगाँव (परकण्ड़ी) एंव उसके नजदीकी गाँवों को यातायात आवगमन की सुविधा देना।**
(v)	लागत लाभ विश्लेषण (सलंग्न किए जाने के लिए)।	:–	लागू नहीं है।
(vi)	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना ळें	:–	25200 मानव दिवस
2-	कुल अपेक्षित भूमि का उदेश्यवार विवरण्ड्ढ	:–	**मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.451है० राज्य वन भूमि की आवश्यकता है।**
3-	परियोजना के कारण लोगों का हटाने का विवरण, यदि कोई ळें	:–	शून्य
	(i) परिवारों की संख्या।	:–	शून्य
	(ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या।		शून्य
	(iii) पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने लिए)।		
4-	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हां/नहीं)	:–	**मार्ग कार्य निर्माण प्रारम्भ नही किया गया है राज्य वन भूमि हस्तान्तरण स्वीकृति आवश्यक है।**
5-	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डसवरुप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाए)	:–	संलग्न
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों /दस्तावेजों का ब्यौरा।	:–	**विषय सूची के अनुसार संलग्न है**

(मनोज दास)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ,(रुद्रप्रयाग)

तिथि...3/8/15...
स्थान ....ऊखीमठ....

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या ....
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाना है)

प्रपत्र–3

भाग–2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या...

7.	परियोजना/स्कीम का स्थान	:–	**जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु 1.451 है० राज्य भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।**
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र।	:–	उत्तराखण्ड
(ii)	थ्जला	:–	रूद्रप्रयाग
(iii)	वन प्रभाग	:–	रुद्रप्रयाग वन प्रभाग।
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टे.में)	:–	1.451 है.
(v)	वन की कानूनी स्थिति	:–	राज्य भूमि
(Vi)	हरियाली का घनत्व	:–	0.20
(Vii)	प्रजाति–वार (वैज्ञानिक नाम)और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.–2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल. –4 मीटर भी संलग्न किए जाए)।	:–	सूची संलग्न है।
(vii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	:–	भूक्षरण की सम्भावना नहीं है।
(viii)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	:–	3.5 Km.
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणी अनुबंधित की जाए)	:–	नही
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न विशिष्अ प्रजातियां पाइ जाती है। यदि हां/ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें।	:–	नही
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरात्ततीय/पारस्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठाान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	:–	नही
8-	प्रयोक्ता एर्जेसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	:–	प्रस्तावित भूमि न्यूनतम है व प्रमाण पत्र संलग्न है।
9-	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गइ कार्रवाई सहित कार्य का व्यौरा दे क्या उल्लघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	:–	मार्ग निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है। अतः कोई उल्लंघन नहीं है।
10-	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा	:–	संलग्न
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आस–पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या प्रत्येक	:–	संलग्न

(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर /अवक्रमित वन क्षेत्र और आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	:– संलग्न
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजाति सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	:– संलग्न
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	:– 4,76,517=00
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के वारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धी उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	:– संलग्न
11.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi,xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए(संलग्न करें)	:– संलग्न
12.	प्रभाग /जिला प्रोफाइल	:– रुद्रप्रयाग वन प्रभाग/ रुद्रप्रयाग
(i)	जिले का वन क्षेत्र	:– 1984 वर्ग किमी.
(ii)	मामलों की संख्या सहित1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	:– 1790.995 वर्ग किमी.
(iii)	1980 से जिला /प्रभाग मे निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	:– 578.991 hae. 151 case 1129.614 hae
(d)	दण्ड के रुप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	:– X
([k)	वनेत्तर भूमिपर	:–
(v)	2015..........तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	:–
(d)	वन भूमि पर	:– 1129.614 hae
([k)	वनेत्तर भूमि पर	:–
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	:– परियोजना विकास कार्यों से सम्बन्धित है. सिफारिश की जाती है।

यूनिट अधिकारी, गुप्तकाशी
यूनिट गुप्तकाशी

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग

दिनांक :–
स्थानः–

प्रपत्र–2.2

PART–III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना)

Proposal No.FP/UK/Road/17679/2016

परियोजना का नाम– जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई–फेगू–बरम्वाड़ी मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।

1.	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं प्रभागीय वनाधिकारी की आख्या एवं संस्तुति के आधार पर सहमत।
2.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है?	सहमत परियोजना क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के कुल 121 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, जिनमें से 05 वृक्ष बांज प्रजाति के हैं।
3.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	जनहित में संस्तुति की जाती है।

दिनांक 02.06.2016

स्थान पौड़ी।

हस्ताक्षर.................

नाम (जी० सोनकर)

वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त
उत्तराखण्ड पौड़ी

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत नागजगई–फेगू–बरम्वाड़ी मोटर मार्ग के सेतु सहित निर्माण हेतु 1.451 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग में 1.451 है0 राजस्व वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग तथा वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनहित में प्रस्ताव आपदा प्रभावित जनपद में 5 है0 से कम क्षेत्रफल तथा प्रति है0 50 से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः

नाम व पदनामः (एस0टी0एस0 लेप्चा भा.व.से.)
प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
देहरादून

सरकारी मोहरः
तिथि : 18 /07/2016
स्थान : देहरादून

FILE NO. 1(265)/2016

PROPOSAL NO-FP/UK/ROAD/17679/2016

PROPOSAL NAME – NAGJAGAI - FEGU - BARMWADI MOTOR ROAD

AREA-1.451 Ha

PART- V

(To be filled in by the Secretary in charge of Forest Department or by any other authorised officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Recommendation of the State Government
(Adverse comments made by any officer or authority in Part B or Part C or Part D above should be specifically commented upon)

RECOMMENDED

Signature- Joshi

29/7/16

Name and designation

Official seal

Forest & Environment
Uttarakhand Secretariat

प्रपत्र -30.3

परियोजना का नाम:– जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण- प्रत्र

ग्राम पंचायत का नाम - बरम्वाड़ी

तहसील - ऊखीमठ , जिला - रूद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में *जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू- बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।* हेतु राज्य भूमि **1.451 है.** अर्थात कुल **1.451 है.** राज्य वन भूमि का लो.नि.वि. के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ......बरम्वाड़ी........ द्वारा दिनांक 04/10/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में लो.नि.वि. द्वारा आवेदित वन भूमि के संम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आधिवासी अथवा किसी गैर आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आधिवासी अथवा गैर आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ______बरम्वाड़ी______ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उक्त परियोजना हेतु लो.नि.वि. को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत बरम्वाड़ी
सतेश्वरी देवी
04/10/2015
ख0 अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग

प्रपत्र - 30.4

परियोजना का नामः— जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

दिनांक- 04/10 /2015 को ग्राम / सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - बरम्वाड़ी.

क्र.स.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सतेसिंह 2	3
1	[illegible]	[signature]
2	गोपालसिंह	[signature]
3	मनोज सिंह	[signature]
4	प्रदीप सिंह	[signature]
5	जसपाल सिंह	[signature]
6	मानवेन्द्र सिंह	जसपालसिंह
7	पवन कुमार	[signature]
8	राजेन्द्र प्रसाद	पवन कुमार
9	वासुदेव सिंह	राजेन्द्र प्रसाद
10		[signature]

ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत बरम्वाड़ी
सतेश्वरी देवी
04/10/2015
वि0 ख0 अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग